परियोजना का नामः– एक्सेस कन्ट्रोल्ड (ग्रीन फील्ड) गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना जो कि उ0प्र0 राज्य के जनपद–मेरठ, हापुड़, बुलन्दशहर, अमरोहा, सम्भल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ तथा प्रयागराज से होकर गुजरेगी **(FP/UP/ROAD/144793/2021)**।

भू–स्वामित्व वाले सरकारी विभागों के अनापत्ति प्रमाण–पत्र के सम्बन्ध में अन्डरटेकिंग

लोक निर्माण विभाग एवं भारतीय राष्ट्रीय राज मार्ग प्राधिकरण के द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। अन्य विभागों जैसे–रेलवे व सिंचाई विभाग से यूपीडा के द्वारा अनुरोध किया गया है, जिसके प्राप्त होते ही प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

(अरुण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर/अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

अधिकृत अधिकारी
उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक
विकास प्राधिकरण (यूपीडा)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता(गंगा)
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, मेरठ

पत्रांकः /मु.अ.गंगा/एन0ओ0सी0, दिनांकः / /2021

विषयः Regarding NOC for Ganga Expressway crossing of Anupsahar Branch Canal Ch. Km. 54.00 of Madhya Ganga Canal and Expressway Ch. 51+649..

मुख्य अभियन्ता(जल संसाधन), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृपया उपरोक्त विषयक अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम मण्डल सिंचाई कार्य, मेरठ के पत्र संख्या–6763/प्रथम, दिनांक 30.09.2021(छायाप्रति संलग्न) का अवलोकन करें, जिसके द्वारा Uttar Pradesh Expressways Industrial Development Authority, C-13, 2nd Floor, Paryatan Bhawan, Vipin Khand, Gomti Nagar Lucknow-226010 के पत्रांकः 4015/UPEIDA/20/1965(Tech.), दिनांकः 27–07–2021 (छायाप्रति संलग्न) के माध्यम से NOC for Ganga Expressway crossing of Anupsahar Branch Canal Ch. Km. 54 of Madhya Ganga Canal and Expressway Ch. 51+649 पर प्रस्तावित पुल के निर्माण हेतु अनुमति का अनुरोध अधिशासी अभियन्ता, अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर, मेरठ से किया गया है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में अधीक्षण अभियन्ता द्वारा अवगत कराया है कि गंगा एक्सप्रेस वे मेरठ से प्रयागराज का निर्माण होना है जिसमें गंगा एक्सप्रेस वे के कि0मी0 51.649 पर अनूपशहर शाखा के किमी0 85.600 से होकर गुजरेगा, जहां पर प्रस्तावित पुल के निर्माण की अनुमति चाही गयी है। अधीक्षण अभियन्ता द्वारा विषयक पुल निर्माण की अनुमति निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान किये जाने का प्रकरण इस कार्यालय को संस्तुति सहित प्रेषित किया गया है :–

1– पुल निर्माण प्राधिकरण को अपने खर्च पर कराना होगा एवं भविष्य में रख–रखाव का दायित्व भी यूपीडा का ही होगा।
2– पुल निर्माण का कार्य विभागीय अधिकारियों की देख–रेख में ही कराया जायेगा।
3– पुल निर्माण के उपरान्त अनूपशहर शाखा की पटरी/बैड पर कोई भी सामग्री शेष न रहे, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाये, ऐसी समस्त सामग्री हटा ली जाये।
4– कार्य सम्पादन के समय अनूपशहर शाखा के आन्तरिक अनुभाग पटरी एवं खड़े वृक्षों को कोई क्षति न हो।
5– अनूपशहर शाखा में प्रस्तावित कार्य इस प्रकार कराया जाये कि नहर के जल प्रवाह में कोई अवरोध उत्पन्न न हो, नहर के आन्तरिक अनुभाग में किसी प्रकार की बाधा नहीं होनी चाहिए।
6– नहर संचालन के दृष्टिगत् कभी भी कार्य रोकने का आदेश देने का अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा।
7– अनूपशहर शाखा पर पुल निर्माण का कार्य नहर बन्दी की अवधि में ही कराना होगा। उक्त निर्माण कार्य हेतु अलग से नहर बन्दी नहीं की जायेगी तथा चालू नहर पर पुल निर्माण की अनुमति नहीं होगी।
8– भविष्य में यदि विभाग को पुल निर्माण से कोई तकनीकी असुविधा होती है तो इसका पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था का होगा, सिंचाई विभाग का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
9– प्रस्तावित पुल के मध्य से नहर के बैड एवं साईड स्लोप में 100 मीटर अपस्ट्रीम तथा 100 मीटर डाउन स्ट्रीम तक लाईनिंग सुरक्षात्मक कार्य कराना होगा।
10– प्रस्तावित पुल के निर्माण एवं एक्सप्रेस–वे बनाने के दौरान मिटटी–ढुलाई के डम्पर के गुजरने पर उनके द्वारा नहरों के सर्विस रोड़ एवं वी0आर0बी0 के क्षतिग्रस्त होने पर मरम्मत की जिम्मेदारी भी यूपीडा की ही होगी।
11– कार्य कराते समय सिंचाई विभाग की तकनीकी विशिष्टियों का अनुपालन का विशेष ध्यान रखा जाये।
12– कार्य कराते समय निर्माण कार्यों में अति लापरवाही से किसी जानमाल का नुकसान होता है तो इसकी जिम्मेदारी सम्बन्धित विभाग यूपीडा की होगी।

अतः अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम मण्डल सिंचाई कार्य, मेरठ द्वारा प्रेषित प्रकरण संस्तुति सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि उपरोक्तानुसार प्रकरण पर वांछित अनुमति प्रदान किये जाने हेतु अग्रिम आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार

Dhan
59
20/10/2021

आवक सं0 5401
21/10/21

मुख्य अभियन्ता(गंगा)
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उ0प्र0, मेरठ

पत्रांकः 11169 **/मु.अ.गंगा/तददिनांकः** 16-10-2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1– मुख्य अभियन्ता(पश्चिम), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, मेरठ।
2– अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम मण्डल सिंचाई कार्य, मेरठ को उनके उपरोक्त पत्र के संदर्भ में।
3– अधिशासी अभियन्ता, अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर, मेरठ।

16-10-2021

मुख्य अभियन्ता(गंगा)
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उ0प्र0, मेरठ

16/10/2021

21.10.2021
(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर/अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

UTTAR PRADESH EXPRESSWAYS INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY
C-13, 2nd Floor, Paryatan Bhawan Vipin Khand, Gomti Nagar, Lucknow- 226010
☎ 0522-2301142, 2301492 Fax- 0522-4013560
email-tc.upeida2@gmail.com , gangaexpressway

Ref. No:- /UPEIDA/20/1869 Dated: October, 2020

To

Chief Engineer (Bridges)
Northern Railway
Baroda house,
New Delhi

Sub. Construction of 08 ROBs at Railway crossing locations of GANGA EXPRESSWAY, 06 lanes Access Controlled (Greenfield) Expressway under Lucknow Division of Northern Railway.

Ref.- PDC Letter No. LNMIPPL/UPEIDA/POA/2020/62 Dated 29.03.2020.

Dear Sir

Uttar Pradesh Expressway Iindustrial Development Authority has been entrusted by GoUP for development of Ganga Expressway Project which is 6-Lane (expandable to 8-lane) Access Controlled Greenfield Expressway. The proposed Ganga Expressway starts from km 16+000 of Meerut-Bulandshahar (NH-334) near Village-Bijoli (Dist. Meerut) (CH 7+900) & terminates at Prayagraj Bypass on NH-19 near village Judapur Dando (Dist. Prayagraj) (CH 601+847). The length of the proposed expressway alignment is 594 km.

Ganga Expressway will pass through 12 districts i.e. Meerut, Hapur, Amroha, Sambhal, Badayun Shahjahanpur, Hardoi, Unnao, Raebareli, Amethi, Pratapgarh, Prayagraj. Ganga Expressway will be access controlled 6 Lane wide (Expendables to 8-lane) Green Field Project. The D.P.R. of Expressway is in final stage of approval by GoUP and bidding process will start soon.

Tentative GAD plan with other details of seven nos of ROBs proposed at various crossing locations of Expressway is attached herewith. The details of 07 nos ROBs is summarized in the table below:-

S N	ROB Location Chainage in Km	Railway Chainage	Railway Zone	Railway Division	Span Arrangement	length of Main Span (M)		Major/Minor Station	Location	Skew Angle
						Straight	Skew			
1	34+280	Ch.86+430	Northern Railway	Muradabad	1x15+1x64.090+1x15	64.090	64.090	L.H.S Garh mukteshwar/ Simbhawali R.H.S Hapur/ Kuchesar	Latitude-28.757927 & Longitude-77.955442	0
2	123+100	82/6-5	Northern Railway	Muradabad	1x15+1x76.080+1x15	76.080	79.146	L.H.S Chandrausi/Bajhawali R.H.S Rajghat/ Bahjoi	Latitude-28.41605 & Longitude 78.658052	16
3	188+100	350/0 & 350/1	Northern/ North-East	Muradabad/ Izzatnagar	1x15+1x45.484+1x15	45.484	45.484	L.H.S. Barelly/ Kartauli R.H.S Badaeun/Ghatpuri	Latitude 28.13283 & Longitude 79.211366	0
4	354+780	64/3 & 64/4	Northern Railway	Muradabad/ Lucknow	1x15+1x45.484+1x15	45.484	46.186	L.H.S Balamau/ Mallawan R.H.S Unnao/ Ganj Muradabad	Latitude 27.01875 & Longitude 80.165418	10
5	420+100	44/33-34	Northern Railway	Lucknow	1x15+1x64.090+1x15	64.090	64.090	L.H.S. Lucknow/ Ajgain R.H.S Unnao/ Sonik	Latitude-26.590785 & Longitude-80.565313	0
6	503+025	12/2 & 12/3	Northern Railway	Lucknow	1x15+1x51.400+1x15	51.400	51.400	L.H.S. Rai-bareli/ Ubarni R.H.S Dalmau/ Radha-balampur hault	Latitude 26.113387 & Longitude 81.155626	0
7	516+100	89/3 & 89/4	Northern Railway	Lucknow	1x15+1x64.090+1x15	64.090	64.571	L.H.S Rae-bareli/ Lachhmanpur R.H.S Unchahar/ Ramchandrapur	Latitude-26.04995 & Longitude 81.257672	7

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर/अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

GAD of 07 ROBs on the alignment of Ganga Expressway as submitted by PDC consultant are being enclosed for further processing.

You are requested to kindly provide the conceptual drawings/Profile sketch of the ROBs as above so that further neccessary action may be taken for approval of GAD of ROBs

Encl: As above.

Chief Executive Officer,
UPEIDA, Lucknow

Copy: -

1. Sri S.K. Srivasatva, CGM, UPEIDA, Lucknow for information
2. Team Leader, M/s LN Malviya Infra Projects Pvt. Ltd., PDC for Ganga Expressway to co-ordinate with concerned Rly officials at NR HQ, New Delhi to get the approval of GADs at the earliest.

Chief Executive Officer,
UPEIDA, Lucknow

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर/अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

(05)

upeida

UTTAR PRADESH EXPRESSWAYS INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY

C-13, 2nd Floor, Paryatan Bhawan Vipin Khand, Gomti Nagar, Lucknow- 226010
☎0522-2301142, 2301492 Fax- 0522-4013560
email-tc.upeida2@gmail.com , gangaexpressway

Ref. No:- 1256 /UPEIDA/20/1869/Tech.

Dated: 28 October, 2020

To,

Chief Engineer (Bridges)
North Eastern Railway
Gorakhpur

Sub: Construction of ROB at Railway crossing locations of GANGA EXPRESSWAY, 06 lanes Access Controlled (Greenfield) Expressway under Izzat nagar Division of North-Eastern Railway.

Ref: M/s LN Malviya Infra Projects Pvt. Ltd, PDC, Ganga Expressway Letter No. LNMIPPL/UPEIDA/POA/2020/62 Dated 29.03.2020.

Dear Sir,

Uttar Pradesh Expressway Industrial Development Authority has been entrusted by GoUP for development of Ganga Expressway Project which is 6-Lane (expandable to 8-lane) Access Controlled Greenfield Expressway. The proposed Ganga Expressway starts from km 16+000 of Meerut-Bulandshahar (NH-334) near Village-Bijoli (Dist. Meerut) (CH 7+900) & terminates at Prayagraj Bypass on NH 19 near village Judapur Dando (Dist. Prayagraj) (CH 601+847). The length of the proposed expressway alignment is 594 km.

Ganga Expressway will pass through 12 districts i.e. Meerut, Hapur, Amroha, Sambhal, Badayun Shahjahanpur, Hardoi, Unnao, Raebareli, Amethi, Pratapgarh, Prayagraj. Ganga Expressway will be access controlled 6 Lane wide (Expendables to 8-lane) Green Field Project. The D.P.R. of Expressway is in final stage of approval by GoUP and bidding process will start soon.

Tentative GAD plan with other details of ROB proposed at crossing location of Ganga Expressway with Railway track under NE Railway is attached herewith. The details of ROB are summarized in the table below:

S N	ROB Location Chainage in Km	Railway Chainage	Railway Zone	Railway Division	Span Arrangement	Length of Main Span (M)		Major/Minor Station	Location	Skew Angle
						Straight	Skew			
	[illegible]	350/0 & 350/1	North-Eastern Railway	Izzatnagar	1x15+1x45.48+1x15	45.484	45.484	L.H.S Barelly/Kartaul R.H.S Badaeun/Gnatpur	Latitude [illegible] & Longitude [illegible]	[illegible]

GAD of ROB at the above mentioned location on the alignment of Ganga Expressway as submitted by PDC consultant is being enclosed for approval.

You are requested to accord approval of GAD of ROB at the earliest.

Encl.-As above.

Chief Executive Officer,
UPEIDA, Lucknow

Copy: -

1. Sri S.K. Srivasatva, CGM, Ganga Expressway, UPEIDA, Lucknow for information.
2. Team Leader, M/s LN Malviya Infra Projects Pvt. Ltd., PDC for Ganga Expressway to co ordinate with concerned Rly officials at NER HQ, Gorakhpur to get the approval of GADs at the earliest.

CE (B)
28/10

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर/अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

Chief Executive Officer,
UPEIDA, Lucknow

यूपीडा
उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इण्डस्ट्रियल डेवेलपमेन्ट अथारिटी
सी- 13, द्वितीय तल, पर्यटनभवन, विपिन खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ–226010
0522–2301142 / 2301492 / 4108184, फैक्स: 0522–2301142,
ईमेल- tc.upeida2@gmail.com gangaexpresswayup@gmail.com

पत्रांकः 13589 / यूपीडा / 1696 / तक. दिनांकः 16 दिसम्बर, 2020

सेवा में,

प्रमुख सचिव
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

विषयः जनपद मेरठ से प्रयागराज तक गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत है कि प्रदेश में विषयगत गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण सर्वोच्च प्राथमिकता पर कराया जाना है। मा0 मंत्रिपरिषद द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के कियान्वयन हेतु अनुमोदन प्रदान किया जा चुका है एवं मा. मुख्यमंत्री जी द्वारा इस परियोजना का शिलान्यास जून, 2021 में किया जाना सम्भावित है।

परियोजनान्तर्गत सरेंखण में पड़ने वाले नदियों / नहरों पर 14 दीर्घ सेतुओं एवं 127 लघु सेतुओं का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त आवश्यकतानुसार 929 पुलियों का भी निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। परियोजना विकास परामर्शी द्वारा तैयार किये गये डी.पी.आर. एवं सरेंखण की के.एम.जेड फाइल साफ्ट कापी (सी.डी.) में संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि परियोजना हेतु सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग की अनापत्ति निर्गत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार।

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
यूपीडा, लखनऊ

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

01. अपर मुख्य सचिव, औद्योगिक विकास अनुभाग–3, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
02. प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन, लखनऊ।
03. मुख्य महाप्रबन्धक (सिविल), गंगा एक्सप्रेसवे, यूपीडा, लखनऊ।

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर/अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
यूपीडा, लखनऊ

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

निर्माण खण्ड–1, लोक निर्माण विभाग

शाहजहाँपुर

: 05842-283145

Email : cd1pwdspn@gmail.com

पत्रांक– 1545/25 दिनांक– 9/8/2021

सेवा में

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
उ0प्र0 एक्सप्रेस इडस्ट्रीयल डेवलपमेन्ट अथॉरिटी
लखनऊ।

विषय– गंगा एक्सप्रेस वे के राज्य मार्ग सं0–29 मे शाहजहाँपुर जलालाबाद सेक्शन चैनेज 255+167 एवं चैनेज 256+300 पर क्रासिंग इत्यादि कार्य हेतु एन0ओ0सी0 निर्गत करने के सम्बन्ध मे।

संदर्भ– आपका पत्रांक 4032/यूपीडा/20/1965/(टेक) दिनांक 28.07.2021

महोदय

उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा गंगा एक्सप्रेस वे के राज्य मार्ग सं0–29 मे शाहजहाँपुर जलालाबाद सेक्शन चैनेज 255+167 एवं चैनेज 256+300 पर क्रासिंग इत्यादि कार्य करने की अनुमति हेतु आपके संदर्भित पत्र दिनांक 28.07.2021 द्वारा संस्तुति सहित प्रेषित किया है। उक्त प्रकरण पर निम्न शर्तो के अधीन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है।

1. कार्य के दौरान मार्ग की मरम्मत तथा सुचारू यातायात हेतु पूर्ण व्यवस्था सम्बन्धित कार्यदायी संस्था सुनिश्चित करेगी जिससे जनता को असुविधा न हो।
2. निर्माण कार्य के दौरान पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था सम्बन्धित कार्यदायी संस्था सुनिश्चित करेगी।
3. कार्य करते समय बैरिकेडिंग, लाईटिंग तथा अन्य सुरक्षा आदि का प्रबन्ध कार्यदायी संस्था द्वारा किया जायेगा तथा किसी प्रकार की दुर्घटना आदि के लिए कार्यदायी संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी।
4. कार्य करते समय अन्य विभाग की सम्पत्ति अथवा किसी व्यक्तिगत सम्पत्ति को यदि कोई नुकसान होगा तो उसकी भरपाई कार्यदायी संस्था द्वारा की जायेगी तथा किसी विधिक कार्य हेतु भी सम्बन्धित कार्यदायी संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी।
5. मार्ग का स्वामित्व लोक निर्माण विभाग का ही रहेगा।
6. एन0जी0टी0 भूमि अधिग्रहण, पर्यावरण, वन विभाग आदि अथवा अन्य किसी भी विकास से सम्बन्धित प्रकरण यदि उत्पन्न होता है तो निस्तारण सम्बन्धी सम्पूर्ण जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी। इस सम्बन्ध मे न्यायालय मे किसी भी वाद के लिये मा0 न्यायालय अथवा अन्य किसी भी प्रकार से उत्पन्न देनदारी का भुगतान सम्बन्धित कार्यदायी संस्था द्वारा ही किया जायेगा।
7. मार्ग पर स्थाई/अस्थाई अतिक्रमण हटाने एव उसके कारण यदि कोई वाद उत्पन्न होता है अथवा कोई देनदारी उत्पन्न होती है तो उसका समस्त उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था का होगा तथा व्यय कार्यदायी संस्था द्वारा वहन किया जायेगा।
8. इस निर्माण से प्रभावित किसी भी विभाग की यूटीलिटी (एच0टी0 अण्डर ग्राउड केबिल, पानी की लाईन टेलीफोन लाईन्स व अन्य)/यूटीलिटी शिफ्टिंग के लिये तथा स्थानीय निकाय द्वारा यदि किसी धनराशि की माग की जाती है तो उसका भुगतान कार्यदायी संस्था द्वारा किया जायेगा।
9. इस निर्माण से मार्ग के नीचे पड़ी उच्च दबाब एव अत्यन्त ज्वलनशील गैस पाइप लाइन यदि कोई हो आदि का विशेष ध्यान रखा जायेगा। इस गैस पाइप लाईन की शिफ्टिंग अथवा किसी भी प्रकार का कार्य आरम्भ करने से पूर्व सम्बन्धित से अनापत्ति प्राप्त की जाये तथा इससे उत्पन्न व्यय भार कार्यदायी संस्था द्वारा वहन किया जायेगा। इससे होने वाली किसी भी दुर्घटना की पूर्ण जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी।
10. उल्लेखित चैनेज में अन्य प्रस्तावित योजनाओं से सम्बन्धित अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कराना कार्यदायी संस्था की जिम्मेदारी होगी

संलग्न– उपरोक्तानुसार।

9/8/21

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड–1, लो0नि0वि0
शाहजहाँपुर।

पत्रांक /

दिनांक

1. प्रतिलिपि मुख्य अभियन्ता महोदय, बरेली क्षेत्र, लो0नि0वि0 बरेली को सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रतिलिपि अधीक्षण अभियन्ता महोदय, बरेली वृत्त, लो0नि0वि0 बरेली को सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रतिलिपि सम्बन्धित सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता, निर्माण खण्ड–1, लो0नि0वि0 शाहजहाँपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड–1, लो0नि0वि0
शाहजहाँपुर।

Rambhadur Aug Letter 2021(4)

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर/अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड 2, लो0नि0वि0
हरदोई (मु0–बिलग्राम)

पत्रांक 1505/C-1/2021 दिनांक 04/09/2021

सेवा में

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
यूपीडा लखनऊ।

विषय – बिलग्राम–उन्नाव–इलाहाबाद मार्ग (राज्य मार्ग–38) के किमी0 6 एवं 7 पर प्रस्तावित गंगा एक्सप्रेसवे के चैनेज 337+901 के फ्लाई ओवर निर्माण हेतु अनापत्ति के सम्बन्ध में।

सदर्भ आपका पत्रांक 4031/UPEIDA/20/1985(Tech) दिनांक 28.07.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके सदर्भित पत्र के क्रम में इस खण्ड के अन्तर्गत आने वाले मार्ग बिलग्राम उन्नाव इलाहाबाद मार्ग (राज्य मार्ग–38) के किमी0 6 एवं 7 पर प्रस्तावित गंगा एक्सप्रेसवे के चैनेज 337+901 के फ्लाई ओवर निर्माण हेतु अनापत्ति चाही गयी है। अतः उक्त के क्रम में प्रस्तावित गंगा एक्सप्रेसवे के फ्लाई ओवर निर्माण हेतु अनापत्ति निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के साथ प्रदान की जाती है–

1. वर्तमान में उक्त मार्ग राज्य मार्ग श्रेणी का है, जिसका भविष्य में 4 लेन चौड़ीकरण भी किया जा सकता है, जिस हेतु मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 24.50 मी0 वांछित होगी। अतः उक्त फ्लाई ओवर का निर्माण इस प्रकार किया जाये कि मार्ग पर न्यूनतम चौड़ाई 24.50 मी0 उपलब्ध रहे।
2. निर्माण के समय मार्ग पर यातायात बाधित नहीं होना चाहिए तथा यातायात की सुविधा/ सुरक्षा हेतु नियमानुसार आवश्यक समुचित प्रबन्ध आपके विभाग के होंगे।
3. निर्माण स्थल पर आवश्यकतानुसार डायवर्जन का निर्माण लो0नि0वि0 की विशिष्टियों के अनुरूप आपके विभाग द्वारा किया जायेगा।
4. निर्माण की अवधि में मार्ग पर यातायात संचालन हेतु निर्मित डायवर्जन के अनुरक्षण का कार्य भी निरन्तर आपके विभाग द्वारा किया जायेगा।
5. निर्माण हेतु आवश्यक मिट्टी तथा अन्य सामग्री की ढुलाई के भारी माल वाहक वाहनों के गुजरने के कारण लो0नि0वि0 के स्वामित्व के मार्गों पर यदि किसी प्रकार की क्षति पहुँचती है तो इसकी मरम्मत पर होने वाला व्यय आपके विभाग द्वारा वहन किया जायेगा अथवा मार्ग की मरम्मत/ सुधार का कार्य लो0नि0वि0 की विशिष्टियों के अनुसार आपके विभाग द्वारा किया जायेगा।
6. निर्माण की अवधि में किसी भी प्रकार की दुर्घटना /जनहानि/क्षति के लिये आपका विभाग पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा। जिससे सम्बन्धित वांछित कार्यवाही आपके विभाग द्वारा तत्काल की जानी होगी।
7. विशेष कार्याधिकारी, उ0प्र0 शासन के शा0सं0571ई0 23–11–2015/0/03, दि0 18.02.2015, आई0आर0सी0–54–1974 के अनुसार 5.50 मी0 वर्टिकल क्लियरेन्स रखा जाये। मार्ग के अपग्रेडेशन हेतु औसतन 500.00 एम0एम0 की मोटाई का उच्चीकरण/ सुदृढ़ीकरण को ध्यान में रखते हुए मार्ग के Existing Top Level से 500 एम0एम0 का अतिरिक्त vertical clearance को सम्मिलित करते हुए कुल 6.00 मी0 न्यूनतम vertical clearance रखा जाये।
8. निर्मित किये जाने वाले फ्लाई ओवर के कारण मार्ग पर चलने वाले यातायात के लिये वांछित सुरक्षात्मक कार्य एवं साइनेज आपके विभाग द्वारा आई0आर0सी0 की विशिष्टियों के अनुरूप लगाया जायेगा।
9. मार्ग की लेपित सतह के दोनों ओर लो0नि0वि0 की भूमि पर यदि वृक्ष स्थित है या अन्य वांछित अनापत्ति की आवश्यकता होने पर नियमानुसार वन विभाग से अनापत्ति प्राप्त करनी होगी।
10. डायवर्जन के निर्माण के समय लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को निरीक्षण करने का पूर्ण अधिकार होगा।

(हस्ताक्षर) 04/09/21
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड–2, लो0नि0वि0
हरदोई (मु0–बिलग्राम)

पत्रांक : /2021 दिनांक :

प्रतिलिपि –
1. मुख्य अभियन्ता (मध्य क्षेत्र), लो0नि0वि0 लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2. अधीक्षण अभियन्ता, उन्नाव वृत्त, लो0नि0वि0, उन्नाव को सूचनार्थ प्रेषित।
3. श्री अनुराग मौर्या/श्री अभिषेक यादव, सहायक अभियन्ता, निर्माण खण्ड–2, लो0नि0वि0 हरदोई (मु0 बिलग्राम) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. अवर अभियन्ता, (प्रा0), निर्माण खण्ड–2, लो0नि0वि0 हरदोई (मु0 बिलग्राम) को सूचनार्थ।

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर/अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड–2, लो0नि0वि0
हरदोई (मु0 बिलग्राम)

IT - 5337

AT - 16/8/21

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो.नि.वि., बदायूँ

पत्रांक- 1396/15-C

दिनांक :04/8/21

सेवा में

मुख्य कार्यालय अधिकारी
उ0प्र0 एक्सप्रेस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अर्थारिटी
लखनऊ।

विषय Regarding NOC for Ganga Expressway crossing of SH 125 (MF road SH 43) Bisauli to Budaun Road, near Village Bankota, Kargaoun, Mahera Tehsil Bisauli and SH 126 Budaun to Dataganj road near Village Firozpur Aril, Biharipur Tehsil Dataganj.

संदर्भ आपका पत्रांक 3029/यूपीडा/ए/20/1965 (टेक) दिनांक 26 जुलाई 2021

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा विषयक मार्गो पर गंगा एक्सप्रेस हाईवे निर्माण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र मैप में दर्शाये गये स्थानों पर प्रदान की जाती है। निर्माण कार्य के दौरान यातायात में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो।

अधिशासी अभियंता
प्रान्तीय खण्ड, लो.नि.वि.
बदायूं।

पत्रांक-

दिनांक :

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1 मुख्य अभियंता बरेली क्षेत्र लोनिवि बरेली।

2 अधीक्षण अभियंता बदायूं/पीलीभीत वृत्त लोनिवि बरेली।

अधिशासी अभियंता
प्रान्तीय खण्ड, लो.नि.वि.
बदायूं।

AGM/CGM(CS/R)

CE(SA)/Sri Dayanand SE Camp

16/8/21

17/08/21
Chief General Manager (Civil)
UPEIDA

16/8/21
(श्रीश चन्द्र वर्मा)
कार्य लेखक अधि.
(यूपीडा)

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर/अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
National Highways Authority of India
(Ministry of Road Transport & Highways, Govt. Of India)
क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0(पूर्व) वाराणसी
Regional Office - U.P. (East), Varanasi
एस- 2/656, ए-3 बी, वरुणा विहार कालोनी, द्वितीय एवं तृतीय तल, वन प्लेस टावर (जेपी मेहता सीनियर सेकेन्डरी स्कूल के पीछे), सिकरौल, वाराणसी-221002 (उ0प्र0)
S-2/656, A-3B, Varuna Vihar Colony, 2nd & 3rd floor, one place Tower (Behind J.P. Mehta Sr. Secondary School), Sikraul Varanasi-221002 (U.P.)

150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

दूरभाष/Phone : 91-542-2280243
: 91-542-2280372
ई-मेल/E-mail : rovaranasi1@gmail.com
: rovaransi@nhai.org
वेबसाइट/Website: www.nhai.org

No. 14011/42/RO/UP(E)/VNS/2021/ 13853 Date: 04.08.2021

To,

Chief Executive Officer,
Uttar Pradesh Expressway Industrial Development Authority,
C-13, 2nd Floor, Paryatan Bhawan, Vipin Khand, Gomati Nagar,
Lucknow-226010.

Sub.: NOC for construction of Interchange of Ganga Expressway at Kanpur-Lucknow section of NH-27 (Old NH-25) between existing NH Km51.000 to Km52.000 (Km420.932 of Ganga Expressway) and at Raebareli-Prayagraj section of NH-30 (Old NH-24B) between existing NH Km102.000 to Km103.000 (Village-Tadhan, Tehsil-Unchahar, Km517.708 of Ganga Expressway).

Ref.: UPEIDA letter no. 3046/UPEIDA/20/1965/(Tech.) dated 26.07.2021

Sir,

The proposal is for seeking NOC for crossing existing alignments of National Highways (NHs) by the upcoming Ganga Expressway as under:

(i) Kanpur-Lucknow section of NH-27 (Old NH-25) between existing NH Km51.000 to Km52.000 (Km420.932 of Ganga Expressway);

(ii) Raebareli-Prayagraj section of NH-30 (Old NH-24B) between existing NH Km102.000 to Km103.000 (Village-Tadhan, Tehsil-Unchahar Km517.708 of Ganga Expressway).

2. The proposal has been examined by this office and NOC for construction of Interchange/crossing across the above said NHs is hereby granted subject to the following conditions:-

(i) The traffic movement plan shall be submitted by UPEIDA to concerned PIUs, NHAI, (PIU-Lucknow for Kanpur Lucknow section of NH-27; & PIU-Raebareli for Raebareli-Prayagraj section of NH-24B), incorporating all road safety measures before start of the work. Proper diversion road shall be constructed by UPEIDA with all safety measures. It shall be the responsibility of the UPEIDA to ensure the safety and maneuverability of highway traffic during the construction period.

(ii) The copy of approved working drawings and work program shall be submitted to concerned PIUs.

(iii) The embankment slope of NH (if affected) shall be duly safeguarded by UPEIDA.

(iv) Pier/Abutment shall be provided with suitable protection (viz. crash barrier) as safeguard against collision of the vehicles.

(v) The NH pavement/structures/utilities etc., affected if any, during execution of the work, shall be restored as per MoRTH/IRC specification by UPEIDA.

(vi) No debris/loose material will be dumped on NH carriageway.

Yours faithfully,

Vipnesh 4/8/2021

(Vipnesh Sharma)
Regional Officer

Copy to
i) CGM(Civl), UPEIDA, Lucknow- For further coordination with concerned PDs, NHAI.
ii) PDs, NHAI PIU-Lucknow & Raebareli-Please facilitate UPEIDA during construction of the project.

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर/अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड–1, लो0नि0वि0, प्रतापगढ

पत्रांक: 1840/15/2021 दिनांक: 27/09/2021

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
यूपीडा, लखनऊ।

विषय: जनपद प्रतापगढ के अन्तर्गत तहसील कुण्डा के ग्राम सरायसाधाम व प्रतापपुर बैरगढ व एक्सप्रेस–वे चैनेज 554 + 951 के मध्य लालगंज –मझनपुर–मऊ मार्ग (वर्तमान राज्य मार्ग सं0–171) पूर्व में लालगंज कालाकांकर मार्ग (एम0डी0आर0–102) के किमी0 16 से होकर जाने वाली प्रस्तावित गंगा एक्सप्रेसवे के फ्लाई ओवर निर्माण हेतु अनापत्ति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ – आपका पत्रांक संख्या – 4000/यूपीडा/20/1965/(गंगा) दिनांक 27 जुलाई 2021

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके सन्दर्भित पत्र के क्रम में इस खण्ड के अन्तर्गत आने वाले लालगंज –मझनपुर–मऊ मार्ग (वर्तमान राज्य मार्ग सं0–171) व पूर्व में लालगंज–कालाकांकर मार्ग (एम0डी0आर0–102) के किमी0 16 से होकर जाने वाली प्रस्तावित गंगा एक्सप्रेसवे के फ्लाई ओवर निर्माण हेतु अनापत्ति मांगी गयी है। अतः उक्त के क्रम में प्रस्तावित गंगा एक्सप्रेसवे के फ्लाई ओवर निर्माण हेतु अनापत्ति निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है :–

1. वर्तमान में उक्त मार्ग राज्य मार्ग श्रेणी का है, जिसका भविष्य में 4 लेन चौड़ीकरण भी किया जा सकता है। जिस हेतु मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 24.50 मी0 वांछित होगी। अतः उक्त फ्लाई ओवर का निर्माण इस प्रकार किया जाये कि मार्ग पर न्यूनतम चौड़ाई 24.50 मी0 उपलब्ध रहे।
2. निर्माण के समय मार्ग पर यातायात बाधित नहीं होना चाहिए तथा यातायात की सुविधा/सुरक्षा हेतु नियमानुसार आवश्यक समुचित प्रबन्ध आपके विभाग के होंगे।
3. निर्माण स्थल पर आवश्यकतानुसार डायवर्जन का निर्माण लो0नि0वि0 की विशिष्टियों के अनुरूप आपके विभाग द्वारा किया जायेगा।
4. निर्माण की अवधि में मार्ग पर यातायात के संचालन हेतु निर्मित डायवर्जन के अनुरक्षण का कार्य भी निरन्तर आपके विभाग द्वारा किया जायेगा।
5. निर्माण हेतु आवश्यक मिट्टी तथा अन्य सामग्री की ढुलाई के भारी माल वाहक वाहनों के गुजरने के कारण लो0नि0वि0 स्वामित्व के मार्गों पर यदि किसी भी प्रकार की क्षति पहुँचती है तो इसकी मरम्मत पर होने वाला व्यय आपके विभाग द्वारा वहन किया जायेगा अथवा मार्ग की मरम्मत/सुधार का कार्य लो0नि0वि0 विशिष्टियों के अनुसार आपके विभाग द्वारा किया जायेगा।
6. निर्माण की अवधि में किसी भी प्रकार की दुर्घटना/जनहानि/क्षति के लिये आपका विभाग पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा। जिससे सम्बन्धित वांछित कार्यवाही आपके विभाग द्वारा तत्काल की जानी होगी।
7. विशेष कार्याधिकारी, उ0प्र0 शासन के शा0सं0 57ई023–11–2015/0/03 दिनांक 18.02.2015 आई0आर0सी0–54–1974 के अनुसार 5.50 मी0 वर्टिकल क्लियरेन्स रखा जाये। मार्ग के अपग्रेडेशन हेतु औसतन 500.00 एम0एम0 की मोटाई का सशक्तीकरण/सुदृढ़ीकरण को ध्यान में रखते हुए मार्ग के Existing top Level से 500.00 एम0एम0 का अतिरिक्त vertical clearance को सम्मिलित करते हुए कुल 6.00 मी0 न्यूनतम vertical clearance रखा जावे।
8. निर्मित किये जाने वाले फ्लाई ओवर के कारण मार्ग पर चलने वाले यातायात के लिए वांछित सुरक्षात्मक कार्य एवं साईनेज आपके विभाग द्वारा आई0आर0सी0 की विशिष्टियों के अनुरूप लगाया जायेगा।
9. मार्ग की सेपित सतह के दोनों ओर लो0नि0वि0 की भूमि संरक्षित वन क्षेत्र के अन्तर्गत है अथवा भूमि पर वृक्ष स्थित है तो नियमानुसार वन विभाग से अनापत्ति प्राप्त करनी होगी।
10. डायवर्जन के निर्माण के समय लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को निरीक्षण करने का पूर्ण अधिकार होगा।

27/9/2021

(एस0सी0 त्रिवेदी)
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड–1, लो0नि0वि0
प्रतापगढ।

पत्रांक– / दिनांक–

प्रतिलिपि : मुख्य अभियन्ता, प्रयागराज क्षेत्र, लो0नि0वि0, प्रयागराज के पत्रांक 5764/10/का(प्रता0)–प्रया0क्षे0/2021 दिनांक 06.08.2021 के क्रम में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अधीक्षण अभियन्ता, प्रतापगढ वृत्त, लो0नि0वि0, प्रतापगढ को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : सहायक अभियन्ता, प्रथम/द्वितीय/तृतीय, निर्माण खण्ड–1, लो0नि0वि0, प्रतापगढ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अवर अभियन्ता (प्राविधिक), निर्माण खण्ड–1, लो0नि0वि0, प्रतापगढ को रिकार्ड हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड–1, लो0नि0वि0
प्रतापगढ।

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर/अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 हापुड़

E-Mail द्वारा

पत्रांक – 1172/ 1C   दिनांक 01.09.21

सेवा मे,

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
यूपीडा लखनऊ।

विषय.– गढ बुलन्दशहर मार्ग के किमी0 40 पर प्रस्तावित गंगा एक्सप्रेसवे के फ्लाई ओवर के निर्माण हेतु अनापत्ति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ.– आपका कार्यालय पत्रांक–3009/यूपीडा/20/1965/(टेक) दिनांक 26.07.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके सन्दर्भित पत्र के क्रम मे इस खण्ड के अन्तर्गत आने वाले मार्ग गढ बुलन्दशहर मार्ग के किमी0 40 प्रस्तावित गंगा एक्सप्रेसवे के फ्लाई ओवर निर्माण हेतु अनापत्ति निम्न शर्तो एव प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है –

1 वर्तमान मे उक्त मार्ग इस खण्ड के अधीन प्रमुख जिला मार्ग श्रेणी का मार्ग है, जिसका 4 लेन चौडीकरण भी प्रस्तावित, प्रकिया में है. जिस हेतु मार्ग की न्युनतम चौडाई 24.50 मी0 वाछित होगी। अतः उक्त फ्लाई ओवर का निर्माण इस प्रकार किया जाये कि मार्ग पर न्यूनतम चौडाई 24.50 मी0 उपलब्ध रहे।

2 निर्माण के समय मार्ग पर यातायात वाधित नही होना चाहिए तथा यातायात की सुविधा / सुरक्षा हेतु नियामानुसार आवश्यक समुचित प्रबन्ध आपके विभाग के होगे।

3 निर्माण स्थल पर आवश्यकतानुसार डायर्जन का निर्माण लो0नि0वि0 की विशिष्टियों के अनुरूप आपके विभाग द्वारा किया जायेगा।

4 निर्माण की अवधि में मार्ग पर यातायात के संचालन हेतु निर्मित डायवर्जन के अनुरक्षण का कार्य भी निरन्तर आपके द्वारा किया जायेगा।

5 निर्माण हेतु आवश्यक मिट्टी तथा अन्य सामग्री की दुलाई के भारी माल वाहक वाहनों के गुजरने के कारण लो0नि0वि0 स्वामित्व के मार्गो पर यदि किसी भी प्रकार की क्षति पहुचती है तो इसकी मरम्मत पर होने वाला व्यय आपके विभाग द्वारा वहन किया जायेगा अथवा मार्ग की मरम्मत/सुधार का कार्य लो0नि0वि0 विशिष्टियों के अनुसार आपके विभाग द्वारा किया जायेगा।

6 निर्माण की अवधि में किसी भी प्रकार की दुर्घटना/जनहानि/क्षति के लिये आपका विभाग पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा। जिससे सम्बन्धित वाछित कार्यवाही आपके विभाग द्वारा तत्काल की जानी होगी।

7 विशेष कार्याधिकारी, उ0प्र0 शासन के शा0सं0–57ई023–11–2015/0/03 दिनांक 18.02.2015 आई0आर0सी0 –54–1974 के अनुसार 5.50 मी0 वर्टिकल विलयरेन्स रखा जाये। मार्ग के अपग्रेडेशन हेतु औसतन 500.00 एम0एम0 की मोटाई का उच्चीकरण/सुदृढ़ीकरण को ध्यान में रखते हुये मार्ग के Existing Top Level से 500.00 एम0एम0 का अतिरिक्त Vertical clearance को सम्मिलित करते हुये कुल 6.00 मी0 न्यूनतम Vertical clearance रखा जाये।

8 निर्मित किये जाने वाले फ्लाईओवर के मार्ग पर चलने वाले यातायात के लिये वांछित सुरक्षात्मक कार्य एवं साईनेज आपके विभाग द्वारा आई0आर0सी0 की विशिष्टियों के अनुरूप लगाया जायेगा।

9 मार्ग की लेपित सतह के दोनो ओर लो0नि0वि0 की भूमि संरक्षित वन क्षेत्र के अन्तर्गत है अथवा भूमि पर वृक्ष स्थित है, तो नियमानुसार वन विभाग से अनापत्ति प्राप्त करनी होगी।

10 डायवर्जन के निर्माण के समय लो0नि0वि0 के अधिकारियों/कर्मचारियों निरीक्षण करने का पूर्ण अधिकार होगा।

11 मार्ग पर 4 लेन चौडीकरण का कार्य अधिशासी अभियन्ता, विश्व बैंक खण्ड, लो0नि0वि0, अलीगढ के द्वारा कराया जाना है। अत इस सम्बन्ध में उनसे भी सम्पर्क कर आवश्यक सूचना प्राप्त कर लें।

01/09/21

अधिशासी अभियन्ता
प्रा0खण्ड, लो0नि0वि0
हापुड़

पत्रांक – /   दिनांक:–

प्रतिलिपि– 1- मुख्य अभियन्ता, म0क्षे0, लो0नि0वि0 मेरठ को सूचनार्थ प्रेषित।

2 अधीक्षण अभियन्ता, बु0वृत्त, लो0नि0वि0 बुलन्दशहर को सूचनार्थ प्रेषित।

3 अधिशासी अभियन्ता, विश्व बैंक खण्ड, लो0नि0वि0, अलीगढ को सूचनार्थ प्रेषित।

4 सहायक अभियन्ता प्रथम/द्वितीय, प्रा0 प्रा0खण्ड, लो0नि0वि0 हापुड़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर/अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

अधिशासी अभियन्ता
प्रा0खण्ड, लो0नि0वि0
हापुड़

D/Rajveer/by Rahul 2019

UTTAR PRADESH EXPRESSWAYS INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY
C-13, 2nd Floor, Paryatan Bhawan Vipin Khand, Gomti Nagar, Lucknow- 226010
☎0522-2301142, 2301492 Fax- 0522-4013560
email-tc.upeida2@gmail.com , gangaexpressway

Ref. No:- 14928/UPEIDA/20/1869 Dated: 15 January, 2021

To

Chief Engineer (Bridges)
Northern Railway
Baroda house
New Delhi

Sub: Construction of ROBs at Railway crossing locations of GANGA EXPRESSWAY, 06 lanes Access Controlled (Greenfield) Expressway under Lucknow Division of Northern Railway **Reg:- Joint site inspection of ROBs location.**

Ref:- 1- Our letter no-12519/UPEIDA/20/1869, dated 26.10.2020
2- PDC Letter No LNMIPPL/UPEIDA/POA/2020/106 Dated 29.03.2020

Dear Sir,

Uttar Pradesh Expressway Industrial Development Authority (UPEIDA) is developing 06 lanes Access Controlled (Greenfield) GANGA EXPRESSWAY PROJECT. This is one of the High priority Project of GoUP and its execution is to be done within a stipulated time period.

GADs of the proposed 07 ROBs were submitted vide letter under ref-1, and you were requested to provide the conceptual drawing/profile sketch of the 07 ROBs for approval of GAD of ROBs.

M/s L.N. Malviya Infra Projects Pvt, Project Development Consultant(PDC) for Ganga Expressway vide letter under ref-2 has requested to carry out joint site inspection of the proposed ROB locations falling at various crossing locations of Ganga Expressway and Railway tracks under Northern Railway.

In this regard you are requested to be kind enough to direct the concerned Railway officials to carry out joint Inspection of proposed ROBs locations at the earliest, so that approval of GADs can be expedited.

Encl:-As above

Chief Executive Officer,
UPEIDA, Lucknow

Copy: -

1. Sri S.K. Srivasatva, CGM, UPEIDA, Lucknow for information
2. Team Leader, M/s LN Malviya Infra Projects Pvt. Ltd., PDC for Ganga Expressway to co-ordinate with concerned Rly officials of Northen Railway(HQ), New Delhi to carry out joint site inspection at the earliest

Chief Executive Officer,
UPEIDA, Lucknow

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर/अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

पत्रांक 3507 दि 24/8/21

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, सम्भल।

पत्रांक 1921 / अनापत्ति / 2021–22

दिनांक 12/08/21

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
यूपीडा, लखनऊ।

विषय : बदायूं दिल्ली बिजनौर मार्ग (राज्य मार्ग–51) के किमी0 75 पर प्रस्तावित गंगा एक्सप्रेसवे के फ्लाई ओवर निर्माण हेतु अनापत्ति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ : आपका पत्रांक सं0 3023 / यूपीडा / 20 / 1965 / (टेक) दिनांक 26 जुलाई 2021

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके सन्दर्भित पत्र के क्रम में इस खण्ड के अन्तर्गत आने वाले मार्ग बदायूं दिल्ली बिजनौर मार्ग (राज्य मार्ग–51) के किमी0 75 पर प्रस्तावित गंगा एक्सप्रेसवे के फ्लाई ओवर निर्माण हेतु अनापत्ति चाही गयी है। अत: उक्त के क्रम मे प्रस्तावित गंगा एक्सप्रेसवे के फ्लाई ओवर निर्माण हेतु अनापत्ति निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है :–

1. वर्तमान मे उक्त मार्ग राज्य मार्ग श्रेणी का है, जिसका भविष्य में 4 लेन चौडीकरण भी किया जा सकता है, जिस हेतु मार्ग की न्यूनतम चौडाई 24.50 मी0 वांछित होगी। अत: उक्त फ्लाई ओवर का निर्माण इस प्रकार किया जाये कि मार्ग पर न्यूनतम चौडाई 24.50 मी0 उपलब्ध रहे।
2. निर्माण के समय मार्ग पर यातायात बाधित नही होना चाहिए तथा यातायात की सुविधा / सुरक्षा हेतु नियमानुसार आवश्यक समुचित प्रबन्ध आपके विभाग के होगे।
3. निर्माण स्थल पर आवश्यकतानुसार डायवर्जन का निर्माण लो0नि0वि0 की विशिष्टियों के अनुरूप आपके विभाग द्वारा किया जायेगा।
4. निर्माण की अवधि मे मार्ग पर यातायात के संचालन हेतु निर्मित डायवर्जन के अनुरक्षण का कार्य भी निरन्तर आपके विभाग द्वारा किया जायेगा।
5. निर्माण हेतु आवश्यक मिट्टी तथा अन्य सामग्री की ढुलाई के भारी माल वाहक वाहनों के गुजरने के कारण लो0नि0वि0 स्वामित्व के मार्गो पर यदि किसी भी प्रकार की क्षति पहुँचती है तो इसकी मरम्मत पर होने वाला व्यय आपके विभाग द्वारा वहन किया जायेगा अथवा मार्ग की मरम्मत / सुधार का कार्य लो0नि0वि0 विशिष्टियों के अनुसार आपके विभाग द्वारा किया जायेगा।
6. निर्माण की अवधि मे किसी भी प्रकार की दुर्घटना / जनहानि / क्षति के लिये आपका विभाग पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा। जिससे सम्बन्धित वांछित कार्यवाही आपके विभाग द्वारा तत्काल की जानी होगी।
7. विशेष कार्याधिकारी, उ0प्र0 शासन के शा0सं0–57ई023–11–2015 / 0 / 03, दिनांक 18.02.2015 आई0आर0सी0 54 1974 के अनुसार 5.50 मी0 वर्टिकल क्लियरेन्स रखा जाये। मार्ग के अपग्रेडेशन हेतु औसतन 500.00 एम0एम0 की मोटाई का उच्चीकरण / सुदृढीकरण को ध्यान मे रखते हुये मार्ग के Existing Top Level से 500 एम0एम0 का अतिरिक्त vertical clearance को सम्मिलित करते हुए कुल 6.00 मीटर न्यूनतम vertical clearance रखा जाये।
8. निर्मित किये जाने वाले फ्लाई ओवर के कारण मार्ग पर चलने वाले यातायात के लिए वांछित सुरक्षात्मक कार्य एवं साईनेज आपके विभाग द्वारा आई0आर0सी0 की विशिष्टियों के अनुरूप लगाया जायेगा।
9. मार्ग की लेपित सतह के दोनों ओर लो0नि0वि0 की भूमि संरक्षित वन क्षेत्र के अन्तर्गत है अथवा भूमि पर वृक्ष स्थित है तो नियमानुसार वन विभाग से अनापत्ति प्राप्त करनी होगी।
10. डायवर्जन के निर्माण के समय लोक निर्माण विभाग के अधिकारियो / कर्मचारियों को निरीक्षण करने का पूर्ण अधिकार होगा।

ACEO / GM(R/S)
23/8/21
CE(SA)
Sri Dayaram, SE.
24/8/21
Chief General Manager (Civil)
UPEIDA

12/08/21
अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग
सम्भल।

/ अनापत्ति / 2021–22 दिनांक

1. मुख्य अभियन्ता, मुरादाबाद क्षेत्र, लो0नि0वि0, मुरादाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।
2. अधीक्षण अभियन्ता, मुरादाबाद वृत्त, लो0नि0वि0, मुरादाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।
3. अधिशासी अभियन्ता, विश्व बैंक खण्ड, लो0नि0वि0, मुरादाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।
4. श्री मोहित गुप्ता, सहायक अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, सम्भल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. प्रतिलिपि प्राविधिक वर्ग को।

(अरुण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर/अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग
सम्भल।

यूपीडा

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इण्डस्ट्रियल डेवेलपमेन्ट अथारिटी

सी–13, द्वितीय तल, पर्यटनभवन, विपिन खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ–226010

☎ 0522–2301142 / 2301492 / 4108184, फैक्स: 0522–2301142,

ईमेल - tc.upeida2@gmail.com gangaexpresswayup@gmail.com

पत्रांक:12549 /यूपीडा/1696/तक. **दिनांकः 16 दिसम्बर, 2020**

सेवा में,

प्रमुख सचिव
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

विषयः जनपद मेरठ से प्रयागराज तक गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत है कि प्रदेश में विषयगत गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण सर्वोच्च प्राथमिकता पर कराया जाना है। मा0 मंत्रिपरिषद द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के कियान्वयन हेतु अनुमोदन प्रदान किया जा चुका है एवं मा. मुख्यमंत्री जी द्वारा इस परियोजना का शिलान्यास जून, 2021 में किया जाना सम्भावित है।

परियोजनान्तर्गत सरेंखण में पड़ने वाले नदियों/नहरों पर 14 दीर्घ सेतुओं एवं 127 लघु सेतुओं का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त आवश्यकतानुसार 929 पुलियों का भी निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। परियोजना विकास परामर्शी द्वारा तैयार किये गये डी.पी.आर. एवं सरेंखण की के.एम.जेड फाइल साफ्ट कापी (सी.डी.) में संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि परियोजना हेतु सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग की अनापत्ति निर्गत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक:– उपरोक्तानुसार।

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
यूपीडा, लखनऊ

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:–

01. अपर मुख्य सचिव, औद्योगिक विकास अनुभाग–3, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
02. प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन, लखनऊ।
03. मुख्य महाप्रबन्धक (सिविल), गंगा एक्सप्रेसवे, यूपीडा, लखनऊ।

(अरुण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर/अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
यूपीडा, लखनऊ

कार्यालय मुख्य अभियन्ता
बरेली क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, बरेली

पत्रांक— [illegible] / 10सी— उ0प0क्षेत्र / 21, दिनांक:— [illegible] / 08 / 2021

सेवा में,

मुख्य अधिशासी अधिकारी
उ0प्र0 एक्सप्रेसवे इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट अथारिटी
सी 13, दूसरा फ्लोर, पर्यटन भवन, विपिन खण्ड
गोमती नगर, लखनऊ—226010

विषय— राज्य मार्ग सं0—125(एम0एफ0 मार्ग, एस0एच0—43) बिसौली से बदायूँ रोड ग्राम बनकोटा, कुंवरगांव, महरा तहसील बिसौली के पास एवं एस0एच0 126 बदायूँ से दातागंज मार्ग, ग्राम फिरोजपुर अरिल, बिहारीपुर तहसील दातागंज के निकट गंगा एक्सप्रेस—वे क्रास करने की अनापत्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।

संदर्भ:— आपका पत्रांक 3029 / यूपीडा / 20 / 1965(टेक), दिनांक 26.07.2021

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र द्वारा गंगा एक्सप्रेस—वे हेतु वांछित अनापत्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में अधीक्षण अभियन्ता, बदायूं—पीलीभीत वृत्त, लो0नि0वि0, बरेली द्वारा इंगित शर्तों के साथ (पत्र संलग्न) अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है।

संलग्नः—उपरोक्तानुसार

(एम0एम0 निसार)
मुख्य अभियन्ता।

प्रतिलिपि अधीक्षण अभियन्ता, बदायूं—पीलीभीत वृत्त, लो0नि0वि0, बरेली को उनके पत्रांक 4056 / 501सी(सा0)—08 / 2021, दिनांक 05.08.2021 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर/अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

मुख्य अभियन्ता
बरेली क्षेत्र, लो0नि0वि0, बरेली

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता
बदायूँ / पीलीभीत वृत्त, लो0नि0वि0, बरेली

पत्रांक 4036 / 50/सी(बी)-08 / 2021 दि0 05/8/2021

कार्यालय मुख्य अभियन्ता, ब0 क्षे0 लो0 नि0 वि0, बरेली। आवरी संख्या 4509 दिनांक 07/8/2021

सेवा में

मुख्य अभियन्ता
बरेली क्षेत्र, लो0नि0वि0,
बरेली।

विषय:- राज्य मार्ग 125(एम0एफ0 मार्ग एस0एच0–43) बिसौली से बदायूं रोड, ग्राम बनकोटा कुंवरगांव, महरा तहसील बिसौली के पास एवं एस0एच0–126 बदायूं से दातागंज मार्ग, ग्राम फिरोजपुर अरिल, बिहारीपुर तहसील दातागंज के निकट गंगा एक्सप्रेस–वे क्रास करने की अनापत्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- मुख्य कार्यपालक अधिकारी उ0प्र0 एक्सप्रेस इंडस्ट्रीयल डेवलपमैन्ट अथॉरटी लखनऊ का पत्रांक 3029 / यूपीडा / ए / 20 / 1965(टेक), दिनांक 26.07.2021 एवं अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खंड, लोनिवि, बदायूं का पत्रांक 1396 / 15सी0, दि0 04.08.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र द्वारा अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खंड, लोनिवि, बदायूं ने राज्य मार्ग 125(एम0एफ0 मार्ग एस0एच0–43) बिसौली से बदायूं रोड, ग्राम बनकोटा कुंवरगांव, महरा तहसील बिसौली के पास एवं एस0एच0–126 बदायूं से दातागंज मार्ग, ग्राम फिरोजपुर अरिल, बिहारीपुर तहसील दातागंज के निकट गंगा एक्सप्रेस–वे क्रास करने की अनुमति हेतु प्रकरण मुख्य कार्यपालक अधिकारी उ0प्र0 एक्सप्रेस इंडस्ट्रीयल डेवलपमेन्ट अथॉरटी लखनऊ के संदर्भित पत्र दि0 26.07.2021 द्वारा संस्तुति सहित प्रेषित किया है। उक्त प्रकरण पर निम्न शर्तों के अधीन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने की संस्तुति की जाती है।

1. कार्य के दौरान मार्ग की मरम्मत तथा सुचारू यातायात हेतु पूर्ण व्यवस्था सम्बन्धित कार्यदायी संस्था सुनिश्चित करेगी जिससे जनता को असुविधा न हो।
2. निर्माण कार्य के दौरान पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था सम्बन्धित कार्यदायी संस्था सुनिश्चित करेगी।
3. कार्य करते समय बैरिकेडिंग, लाईटिंग तथा अन्य सुरक्षा आदि का प्रबन्ध कार्यदायी संस्था द्वारा किया जायेगा तथा किसी प्रकार की दुर्घटना आदि हेतु कार्यदायी संस्था उत्तरदायी होगी।
4. कार्य करते समय अन्य विभाग की सम्पत्ति अथवा किसी व्यक्तिगत सम्पत्ति को यदि कोई नुकसान होगा तो उसकी भरपाई कार्यदायी संस्था द्वारा की जायेगी तथा किसी विधिक कार्य हेतु भी सम्बन्धित कार्यदायी संस्था उत्तरदायी होगी।
5. मार्ग का स्वामित्व लोक निर्माण विभाग का ही रहेगा।
6. एन0जी0टी0, भूमि अधिग्रहण, पर्यावरण वन विभाग आदि अथवा अन्य किसी भी विकास से सम्बन्धित प्रकरण उत्पन्न होता है तो निस्तारण सम्बन्धी सम्पूर्ण जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी। इस सम्बन्ध में न्यायालय में किसी भी वाद के लिये मा0 न्यायालय अथवा अन्य किसी भी प्रकार से उत्पन्न देनदारी का भुगतान सम्बन्धित कार्यदायी संस्था द्वारा ही किया जायेगा।
7. मार्ग पर स्थाई / अस्थाई अतिक्रमण हटाने एवं उसके कारण यदि कोई वाद उत्पन्न होता है अथवा कोई देनदारी उत्पन्न होती है तो उसका समस्त उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था का होगा तथा व्यय कार्यदायी संस्था द्वारा वहन किया जायेगा।
8. इस निर्माण से प्रभावित किसी भी विभाग की यूटीलिटी (एच0टी0 अण्डर ग्राउंड केबल, पानी की लाईन, टेलीफोन लाईन्स व अन्य) / यूटीलिटी शिफ्टिंग के लिये तथा स्थानीय निकाय द्वारा यदि किसी धनराशि की मांग की जाती है तो उसका भुगतान कार्यदायी संस्था द्वारा किया जायेगा।
9. इस निर्माण से मार्ग के नीचे पड़ी उच्च दबाब एवं अत्यन्त ज्वलनशील गैस पाइप लाइन यदि कोई हो आदि का विशेष ध्यान रखा जायेगा। इस गैस पाइप लाईन की शिफ्टिंग अथवा किसी भी प्रकार का कार्य आरम्भ करने से पूर्व सम्बन्धित से अनापत्ति प्राप्त की जाये तथा इससे उत्पन्न व्यय भार कार्यदायी संस्था द्वारा वहन किया जायेगा। इससे होने वाली किसी भी दुर्घटना की पूर्ण जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी।
10. उल्लेखित चैनेज में अन्य प्रस्तावित योजनाओं से सम्बन्धित अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कराना कार्यदायी संस्था की जिम्मेदारी होगी।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

(अजय शंकर सिंह)
अधीक्षण अभियन्ता

प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोनिवि, बदायूं को उनके पत्रांक 1396 / 15सी,दि0 04.08.2021 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधीक्षण अभियन्ता
बदायूं / पीलीभीत वृत, लोनिवि, बरेली।

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर/अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ